

~~पादपत्र के ईकूलन जमीनी की दृष्टि गणना बाबत में (कड़ी-2) 10-4-85~~
~~मासे 10-4-85 के तहत जमीनी के निर्धारित क्षेत्रों का दिनांक 10-4-85~~
 के अंतर्गत 21 CEP 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592 जमीनी
 0-0-11-2/2 अंतर्गत हुए जमीनी जिनका एक ही लॉट बनाई जा रहा है
 जिनका प्रतिफल प्रतिपत्नी द्वारा नहीं किया गया है।

नोट: निम्नलिखित विधायक द्वारा पादपत्र के ईकूलन
 जमीनी का क्षेत्र की गई जमीनी की दृष्टि गणना पूर्ण होना दिनांक
 10-4-85 के अंतर्गत के ईकूलन सीमांकन की अंतिम दिनांक है।
 जमीनी इन कानूनों की प्रति के साथ जमीनी अधिकारी के पास के
 अंतिम सीमांकन के आवेदन दायर करने। इसके अंतर्गत एक
 जमीनी के ईकूलन निर्धारित मूल्य नहीं ले प्राप्त कर सीमांकन करा
 है। सीमांकन के ईकूलन जमीनी का दायर जमीनी पूर्ण निर्धारण
 के उपपदान से प्रतिपत्नी को निर्देश किया जाता है।

निर्देशित अंतर्गत

मु. सु. सु. अकाउन्टी
 सेबीए

मु. सु. सु. अकाउन्टी
 सेबीए